सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 223 राँची, सोमवार, 21 वैशाख, 1948 (श०) / 11 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

5 मई, 2026

संख्या- 08/वरीय विविध-02/2025 का० 2664--झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के निम्नांकित न्यायिक पदाधिकारियों को विभागीय संकल्प संख्या-1459 दिनांक 27.02.2024 की कंडिका-2(IX) के तहत विहित शर्त्तों के अधीन स्तम्भ-6 में अंकित तिथि के प्रभाव से उच्च योग्यता भत्ता हेतु L.L.M की उपाधि पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन	उच्च योग्यता		योगदान की तिथि	उच्च योग्यता भत्ता की देय तिथि	विभागीय संकल्प संख्या-4328, दिनांक-24.05.2016 के आलोक में एल०एल०एम० उपाधि पर पूर्व में दी गई स्वीकृति की तिथि
		उपाधि	निर्गत/ कन्वोकेशन तिथि			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	श्री संजीव भाटिया, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला सह-विशेष न्यायाधीश, POCSO Act, गुमला।	L.L.M	15.02.2026	07.08.2019	15.02.2026	-
2.	प्रेम नाथ पाण्डेय, अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, बेरमो, तेनुघाट (बोकारो)।	L.L.M	15.02.2026	13.08.2019	15.02.2026	-

2. उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तद्नुसार अनुमान्य होगी ।

3. उपर्युक्त न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता भत्ता का लाभ इस शर्त के साथ देय होगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्व में एल०एल०एम० उपाधि पर दिये गये लाभ की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा ।

4. झारखण्ड उच्च न्यायालय के अग्रसारण पत्र के साथ संलग्न न्यायिक पदाधिकारियों के एल०एल०एम० उपाधि प्रमाण-पत्र की वैधता पर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट होने के उपरांत हीं उक्त भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,
सरकार के संयुक्त सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 223 - 50